न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष अशोक शिवहरे
सदस्य

निगरानी प्र0 क0 523 दो/2011 विरूध्द आदेश दिनांक 10-03-11 पारित अपर कलेक्टर, शिवपुरी प्रकरण कमांक 55/निगरानी/08-09.

1-- महिला लक्ष्मीदेवी पत्नी स्व. सुभाषचन्द
2-- अनिलकुमार पुत्र स्व. बालकिशनदास
3-- दिलीप सिंहल पुत्र स्व. सुभाष सिंहल
3-- मनीषा पुत्री स्व. सुभाष चन्द पत्नी महेश
द्वारा कर्त्ताखानदान व मुख्तयारआम कैलाश सिंहल
समस्त नि0 निजी नवग्रह मंदिर के पीछे,
कमलागंज, शिवपुरी, म0प्र0

---- आवेदकगण

विरूध्द

1-- ओमप्रकाश राठौर पुत्र स्व. भूरेराम
2 लक्ष्मीदेवी पत्नी ओमप्रकाश
3-- प्रमोद राठौर उर्फ राजू पुत्र ओमप्रकाश
4 प्रवीण राठौर पुत्र ओमप्रकाश
5-- सुनील राठौर पुत्र ओमप्रकाश
समस्त निवासी अम्बेडकर पार्क के सामने,
कमलागंज, शिवपुरी, म0प्र0

- अनावेदकगण

श्री अनिल कुमार सिंहल आवेदकगण की ओर से
श्री एस0के0 श्रीवास्तव, अभिभाषक अनावेदकगण

आदेश

(आज दिनांक .... 2014 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर

कलेक्टर, शिवपुरी के प्रकरण कमांक 55/निगरानी/08–09 में पारित आदेश दिनाक 10 03 11 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि आवेदकगण अनिलकुमार आदि ने संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत आवेदनपत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया कि आवेदकगण ने अपने भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि का सीमाकन कराने पर पता चला कि सर्वे नं0 211 रकबा 7 बीघा 6 विस्वा के अंशभाग 67.89 वर्गमीटर पर अनावेदकगण ओमप्रकाश आदि का अवैध कब्जा है। उन्होंने अवैध कब्जा हटाकर कब्जा वापिस दिलाने का अनुरोध किया। तहसीलदार ने प्रकरण पंजीबध्द किया। आवश्यक कार्यवाही के पश्चात तहसीलदार, शिवपुरी ने अपने आदेश दिनांक 7–8–04 व्दारा आवेदनपत्र 2 वर्ष की अवधि का समय व्यतीत हो जाने के पश्चात प्रस्तुत किये जाने से सुनवायी योग्य नहीं होने से खारिज किया। इस आदेश के विरूध्द प्रस्तुत की गयी निगरानी अपर कलेक्टर ने अपने आदेश दिनांक 10–03–11 व्दारा खारिज की है। अतः आवेदकगण व्दारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी है।

3/ मैंने अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष व्दारा प्रस्तुत तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया। आवेदकगण ने निगरानी में यह मुद्दा उठाया गया है कि विचारण न्यायालय मे अनावेदकगण व्दारा मूल आवेदनपत्र का ना तो जबाव प्रस्तुत किया गया और ना ही कोई साक्ष्य प्रस्तुत की गयी। अनावेदकगण व्दारा धारा 32 का आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया था जिसे तहसीलदार ने निरस्त कर दिया था और इस निरस्त किये गये आवेदनपत्र के आधार पर तहसीलदार व्दारा आदेश पारित किया गया है। उनका तर्क है कि आवेदकगण व्दारा प्रस्तुत दस्तावेज, साक्ष्य का तहसीलदार ने अपने आदेश में कोई उल्लेख नहीं करते हुए अनावेदकगण व्दारा प्रस्तुत फर्जी एव बनावटी फोटो कॉपी के आधार पर आदेश पारित किया गया है। आवेदकगण को उनके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि से

अनावेदकगण ने बलपूर्वक अवैध अतिक्रमण 01 03 02 को किया गया था जिसमें प्रमाण में डिप्टी कलेक्टर के.एल.राय के दिनांक 01 03 -02 के पत्र की छायाप्रति प्रकरण में संलग्न की गयी। भूमि का सीमांकन दिनांक 11 01 03 को हुआ, आवेदकगण व्दारा धारा 250 का आवेदनपत्र दिनांक 01 05 03 को प्रस्तुत किया गया जो निर्धारित समयावधि 2 वर्ष के अन्दर है। उनका यह भी तर्क है कि पटवारी ने भी अपनी रिपोर्ट में सर्वे क0 211 आवेदकगण के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि पर अनावेदक का मकान होना व खसरे में ओमप्रकाश राठौर भूमिस्वामी नहीं होना प्रतिवेदित किया है जिस पर अपर कलेक्टर व्दारा विचार नही किया गया। उनका यह भी तर्क है कि धारा 32 के आवेदन एवं सहपत्रों की प्रति आवेदकगण को उपलब्ध नहीं करायी गयी और पटवारी की रिपोर्ट भी एकपक्षीय प्राप्त की गयी है। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4/ अनावेदकगण के अभिभाषक के अभिभाषक का तर्क है कि तहसीलदार व्दारा संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत आदेश पारित करते हुए आवेदकगण का आवेदनपत्र खारिज किया गया है, इस कारण तहसीलदार का आदेश अपील योग्य होने से निगरानी प्रचलन योग्य नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि प्रश्नाधीन भूमि पर पिछले 15 –20 वर्षों से अनावेदकगण का मकान बना हुआ है जिसमें वे निवासरत हैं। उनका यह भी तर्क है कि निर्मित भवन की भूमि का कब्जा पाने के लिये धारा 250 के प्रावधान लागू नही होते और इस संबंध में उन्होंने मेरे समक्ष 1971 रा.नि. 464 का न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किया। अतः उन्होंने निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया।

5/ इसके जबाव में आवेदक का कथन है कि तहसीलदार व्दारा धारा 32 के आवेदनपत्र के आधार पर पटवारी रिपोर्ट प्राप्त कर उसके आधार पर आदेश पारित किया गया है, इसलिये निगरानी ग्राह्य योग्य है। इस संबंध में उनका यह भी तर्क है कि अपर कलेक्टर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गयी

थी और यह आपत्ति अपर कलेक्टर के समक्ष नहीं उठायी गयी इसलिये अपर कलेक्टर के निगरानी आदेश के विरूध्द अपील का प्रावधान नहीं होने से निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

6/ तहसीलदार के आदेश दिनांक 7–8–04 के विरूध्द आवेदकगण व्दारा पुनर्विलोकन का आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया जिसे तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 22–10–04 व्दारा आवेदकगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना खारिज किया गया। आवेदकगण व्दारा अपर कलेक्टर क समक्ष तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 7–8–04 एवं 22–10–04 के विरूध्द निगरानी प्रस्तुत की गयी। संहिता की धारा 46 (ख) के अनुसार 'पुनर्विलोकन के लिये किये गये किसी आवेदन को नामंजूर किये गये आदेश के विरूध्द अपील नहीं हो सकती, इस कारण आवेदकगण व्दारा अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत निगरानी विधिक प्रावधान के अनुसार थी। आवेदकगण व्दारा अपर कलेक्टर के निगरानी में पारित आदेश के विरूध्द राजस्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत की है। निगरानी आदेश के विरूध्द अपील का प्रावधान नहीं है, इसलिये अनावेदकगण की आपत्ति व इस संबंध में अपर कलेक्टर व्दारा निकाला गया निष्कर्ष मान्य योग्य नहीं है।

7/ तहसील न्यायालय के अभिलेख एवं आदेश पत्रिकाओं के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदकगण व्दारा धारा 250 के आवेदनपत्र का जबाव प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार व्दारा दिनांक 5–4–04, 21–4–04, 30–4–04, 5–5–04 को अवसर देने बाद भी अनावेदकगण व्दारा जबाव प्रस्तुत नहीं करने से तहसीलदार व्दारा दिनांक 18–5–04 को आवेदन का जबाव प्रस्तुत करने का अवसर समाप्त किया और प्रकरण साक्ष्य हेतु नियत किया। दिनांक 30–6–04 को अनावेदक अभिभाषक व्दारा आवेदक साक्ष्य का प्रतिपरीक्षण करने पर तहसीलदार व्दारा अनावेदक को साक्ष्य प्रस्तुत करने के आदेश दिये। तहसीलदार ने दिनांक 22–7–04 को अनावेदक व्दारा साक्ष्य का अवसर वाद

जाने पर अन्तिम अवसर प्रदान कर प्रकरण दिनांक 29–7–04 को नियत किया। अनावेदक की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी और तहसीलदार ने अनावेदक का साक्ष्य का अवसर समाप्त किया। तहसीलदार ने आदेश पत्रिका दिनांक 31–7–04 में यह अंकित किया है कि

"प्रकरण पेश। प्रकरण मे उभय पक्ष उपस्थित। आवेदक की ओर से खसरा वर्ष 2004 का प्रस्तुत किया। अनावेदक अभिभाषक व्दारा कुछ लेखी साक्ष्य पेश किया। प्रकरण में तर्क श्रवण किये गये। प्रकरण अध्ययन व आदेश हेतु। सी एफ 5.8.04"

उक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अनावेदकगण व्दारा आवेदकगण व्दारा धारा 250 के आवेदनपत्र का कोई जबाव प्रस्तुत नहीं किया और ना ही कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की गयी। तहसीलदार ने उभय पक्ष के अभिभाषकों के प्रकरण में तर्क श्रवण करने के पश्चात आदेश हेतु नियत दिनांक 5–8–04 को पटवारी से पंचनामा एवं रिपोर्ट मगाने आदेश दिये। तहसील न्यायालय के अभिलेख पृष्ठ 91–92 पर उपलब्ध पटवारी की रिपोर्ट एवं पंचनामा से स्पष्ट है कि पटवारी व्दारा दिनांक 5–8–04 को पंचनामा एवं रिपोर्ट तैयार कर तहसीलदार के समक्ष दिनांक 6–8–04 को प्रेषित की गयी है। इस मौका पंचनामें में आवेदकगण के हस्ताक्षर नहीं है और ना ही उन्हें मौका निरीक्षण की सूचना दी गयी। ऐसी दशा में एकपक्षीय पटवारी रिपोर्ट के आधार पर आवेदकगण का धारा 250 का आवेदनपत्र तहसीलदार व्दारा खारिज करना नैसर्गिक न्याय सिध्दान्त के भी विपरीत है। आवेदकगण ने भूमि सर्वे कमांक 211 के भूमिस्वामी होने के संबंध में खसरे की छाया प्रतियॉं प्रस्तुत की गयी हैं। आवेदकगण व्दारा उनके स्वत्व की भूमि पर अवैध कब्जा की जानकारी सीमांकन कराने पर होना आवेदनपत्र में उल्लेख किया गया, जिसका खण्डन अनावेदकगण व्दारा नहीं किया गया और इस संबंध में तहसील में सीमांकन की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गयी है। भरत बनाम गनपत (1975 रा.नि. 159) में यह व्यवस्था दी गयी है कि एक व्यक्ति भूमिस्वामी या सरकारी पट्टेदारी की

भूमि दूसरे के अनाधिकृत कब्जे मे दबाई गई. सीमांकन से वह भूमि वादी की होना पाई गई. सीमांकन के दिनांक से 2 वर्ष के भीतर दावा बेदखली तथा वापसी कब्जा किया जा सकता है।

8/ अनावेदकगण व्दारा धारा 32 का आवेदनपत्र प्रस्तुत कर प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदको का 15-20 वर्ष पुराना भवन होने से संहिता की धारा 250 के प्रावधान लागू नहीं होना एवं पटवारी प्रतिवेदन प्राप्त करने का अनुरोध किया। इस आवेदनपत्र का जबाव आवेदकगण व्दारा प्रस्तुत किया गया है जो तहसील न्यायालय के अभिलेख पृष्ठ 33-34 पर है तथा जबाव के साथ विकयपत्र की छाया प्रति एवं अतिकमित भाग का वर्तमान स्थिति का मानचित्र भी संलग्न किया गया है। इनके अवलोकन से विदित होता है कि अनावेदक ओमप्रकाश व्दारा कय किये गये पुराने भवन की परिमाप 17 फुट X 21.5 फुट -365 है, किन्तु उसके व्दारा अतिकमण कर वर्तमान में निर्माण 31.5 फुट X 39.75 फुट = 1252 में किया है अर्थात 887 वर्गफुट पर अनावेदकगण ने अतिकमण कर निर्माण किया है। यह निर्माण आवेदकगण ने धारा 250 के आवेदनपत्र में 01-03-02 को बलपूर्वक करना दर्शाया है और इस संबंध में शिकायत डिप्टी कलेक्टर के समक्ष करना बतलाया है। पटवारी ने अपने प्रतिवेदन एवं पंचनामा दिनांक 5-8-04 में 10 X30 = 320 में ओमप्रकाश का भवन वर्ष 1992 में निर्मित होना बताया है। आवेदकगण व्दारा उक्त भवन के अलावा जो अतिरिक्त भूमि पर अनावेदकगण ने जबरन कब्जा कर निर्माण किया गया उसकी वापिसी की मॉग की थी, किन्तु तहसीलदार एवं अपर कलेक्टर व्दारा आदेश पारित करते समय इन पर कोई ध्यान नही दिया है और आवेदकगण के अखण्डित दावे को समयावधि बाह्य मानकर खारिज करने में त्रुटि की है। ऐसी दशा में अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अनावेदक को तथाकथित अनुबन्ध पत्र की छाया प्रति, जो सुभाष चन्द एवं अनिल कुमार पुत्रगण बालकिशन व्दारा ओमप्रकाश राठौर के

पक्ष में लिखा गया है, के आधार पर आवेदकगण के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि पर कोई वैध स्वत्व प्राप्त हैं तो उन्हें इसका निराकरण सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर कराना चाहिये।

9/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है। अपर कलेक्टर का आदेश दिनांक 10–03–11 तथा तहसीलदार का आदेश दिनांक 7–8–04 एवं 22--11--04 निरस्त किये जाते हैं।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0